संख्या–3941 / 38–3–2012–16(अधि0) / 2012

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–3 लखनऊ::दिनांकः 15 मार्च, 2013

**विषयः– वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर राजकीय विभागों के सचिवालय से इतर लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों का ग्राम्य विकास विभाग में कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर वित्त विभाग के पत्र संख्या–वे0आ0–2–2105 / दस–54(एम) / 2008 टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 द्वारा लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में लिये गये सामान्य निर्णय के कम में शासनादेश संख्या–4791 / 38–1–2011–35(107) / 2011, दिनांक 23 दिसम्बर,2011 द्वारा विभाग के लिपिकीय संवर्ग के लिये की गयी व्यवस्था को दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) लिपिकीय संवर्ग के वरिष्ठ सहायक के ऐसे पद,जो अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 4500–7000 में थे और जिन्हें पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800 अनुमन्य हुआ था तथा जिनका उल्लेख शासनादेश संख्या–4791 / 38–1–2011–35(107) / 2011, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 के साथ संलग्नक–1 की तालिका के कमांक–4 पर इंगित है, को प्रधान सहायक पदनामित करते हुये वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 अनुमन्य कराया जाय।

प्रधान सहायक के इन पदों को शासनादेश संख्या–4791 / 38–1–2011 –35(107) / 2011, दिनांक 23 दिसम्बर,2011 द्वारा किये गये पुनर्गठन के फलस्वरूप उपलब्ध हुये वरिष्ठ सहायक के पदों से पदोन्नति कर भरे जाने की व्यवस्था की जाय।

(2) शासनादेश संख्या–4791 / 38–1–2011–35(107) / 2011,दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा किये गये पुनर्गठन के फलस्वरूप उपलब्ध प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 के स्थान पर वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 अनुमन्य कराया जाय।

प्रशासनिक अधिकारी के इन पदो को 05 वर्ष की सेवा वाले प्रधान सहायक के पदो से शत-प्रतिशत पदोन्नति कर भरे जाने की व्यवस्था की जाय।

2- उपर्युक्त के फलस्वरूप उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में आने वाले पदधारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3- इस सीमा तक शासनादेश संख्या-4791/38-1-2011-35(107)/2011, दिनांक 23.12.2011 संशोधित समझा जाय।

4- यह आदेश वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-वे0आ0-2-यू0ओ0-115/दस-2013, दिनांक 5 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

**संख्या-3941(1)/38-3-2012, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5. वित्त(वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन प्रतियों में)
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( डा0 हरिश्चन्द्र )
विशेष कार्याधिकारी।